

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, भगत-नॉई,

राकशाला रोड, वन कमलक्ष नॉई-भगत, हरियाणा एवं फैक्स नं०. -01267-274701

E-mail: dfo_mewal@yahoo.com

क्रमांक:- 626

दिनांक 14-10-2021

सेवा से :- वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,

गुरुग्राम।

विषय :-

Diversion of 3.55 ha of forest land for laying Drinking water Pipeline (DI Pipe line) of size 200,300,600 mm for supply of Drinking water to various village Ranyala, Agon, Hasanpur Bilonda, Kolgaon & Sakras etc in Distt. Mewat-Nuh.
Online Proposal no. FP/HR/water/37822/2018

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बंजालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ File No. 9-HR/B076/2020-CHA दिनांक 30.09.2020 के निरंतर से।

संदर्भित पत्र द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव से लगाई गई वन मण्डल तथा Executive Engineer Public Health Engineering Deptt. Division No. 1 के पत्र क्रमांक 9523 दिनांक 12.10.2021 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ज़िंदगी को दूर करके प्रस्ताव पुनः तीन प्रतियों में संलग्न आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 उक्त प्रस्ताव के तहत काटे जाने वाले पेड़ों संख्या की सूचना कॉलम 4 (II) के भाग-II के तहत अपलोड कर दी गई है।
- 2 उक्त प्रस्ताव के तहत काटे जाने वाले पेड़ों की गणना की सूची अपलोड कर दी गई है।
- 3 उक्त प्रस्ताव में Addl. NPV and C.A स्कीम पुनः बनाकर अपलोड कर दी गई है।
- 4 Difference in forest area under B-2.3 & B-2.4 in part-I (Copy Enclosed)
- 5 Proper lay-out plan with seal and signature of competent authority (Copy Enclosed)
- 6 अन्तर साईज वृक्षों का अन्तर लोक करके सी10ए0 स्कीम व पार्ट-II में दर्शाया दिया गया है।
- 7 यूजर एजेंसी द्वारा पूर्ण सूचना अपलोड की गई दर्शाई गई है प्रति संलग्न।

संलग्न:- उपरोक्त

वन मण्डल अधिकारी
नॉई

५० क्रमांक दिनांक

एक प्रति निम्न को सूचना हेतु आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मन्त्र वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकला।

2. नोजल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक कार्यालय प्रधान मन्त्र वन संरक्षक, C-18, वन भवन, सैक्टर पंचकला, हरियाणा।

वन मण्डल अधिकारी
नॉई

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, भगत-गँह,

राकशाला रोड, वन कमलेक्ष गँह-भगत, दूरभाष एवं फैक्स नं०. -01267-274701

E-mail: dfo_mewar@yahoo.com

क्रमांक:-

दिनांक

सेवा में :- वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,

राकशाला

विषय :-

Diversion of 3.55 ha of forest land for laying Drinking water Pipeline (DI Pipe line) of size 200,300,600 mm for supply of Drinking water to various village Ranyala, Agon, Hasanpur Bilonda, Kolgaon & Sakras etc in Distt. Mewar-Nuh.
Online Proposal no. FP/HR/water/37822/2018

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ File No. 9-HRB076/2020-CHA दिनांक 30.09.2020 के दिनांक में।

संदर्भित पत्र द्वारा विधायित प्रस्ताव में लगाने वाले वन मण्डल तथा Executive Engineer Public Health Engineering Deptt. Division No. 1 के पत्र क्रमांक 9523 दिनांक 12.10.2021 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्रुतियों को धरे करके प्रस्ताव पुनः तीन प्रतियों में संलग्न आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 उक्त प्रस्ताव के तहत काटे जाने वाले पेड़ों संख्या की सूचना कॉलम 4 (II) के भाग-11 के तहत अपलोड कर दी गई है।
- 2 उक्त प्रस्ताव के तहत काटे जाने वाले वृक्षों की गणना की सूची अपलोड कर दी गई है।
- 3 उक्त प्रस्ताव में Addl. NPV and C.A स्कॉम पुनः बनाकर अपलोड कर दी गई है।
- 4 Difference in forest area under B-2.3 & B-2.4 in part-1 (Copy Enclosed)
- 5 Proper lay-out plan with seal and signature of competent authority (Copy Enclosed)
- 6 अन्तर साईज वृक्षों का अन्तर ठीक करके सी0ए0 स्कॉम व पार्ट-11 में दर्शाया दिया गया है।
- 7 सूचर एजेंसी द्वारा पूर्ण सूचना अपलोड की गई दर्शाई गई है प्रति संलग्न।

संलग्न:- उपरोक्त

५० क्रमांक 537-28 दिनांक 14-10-2021

एक प्रति निम्न को सूचनाएँ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला।

पंचकूला, हरियाणा।

वन मण्डल अधिकारी,
हरियाणा
गँह।

वन मण्डल अधिकारी,
हरियाणा
गँह।